5935 (1) 25 MAR 2009

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 613976

बिक्रीखत

ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की कृषि भूमि का विक्रय पत्र

प्रारुप क्रमांक 3 में स्थित प.ह.नं. 17 सरल क्र. 88 पर स्थित)

भू- ऋण पुस्तिका भाग (1) क्रमांक 24436 राजस्व निरीक्षक मंडल-01

(उक्त भूमि मुख्यमार्ग भोपाल रोड़ / बायपास पर स्थित नहीं होकर अंदर की ओर स्थित है)

विक्रय मूल्य रु. 24,00,000.00 (रु. चौबीस लाख) मात्र

बाजार मूल्य रु. 24,00,000.00 (रु. चौबीस लाख) मात्र

स्टाम्प ड्युटी	::	1,56,000.00
नगर निगम ड्युटी	::	24,000.00
पंचायत ड्युटी	::	24,000.00
उपकर ड्युटी	::	7,800.00
कुल ड्युटी	::	2,11,800.00

निरंतर.... 2 पर

Anita Juhi

25 MAR 2009

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा

20 MAR 2009

कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म.प्र.)

	235170
1)	36100
2)	36100
3)	
4)	11760-
5)	10
योग	319200

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

जिला देवास जिला
देवास उप पंजीयक के कार्यालय
25 MAR 2009
बजे

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

5935

भारत

पचास रुपये

रु.50

INDIA

रसीद दस्तावेज वगैरह **31**

मुकाम 6982

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
विक्रयपत्र 3618000/-	29115/-	

तारीख 25 MAR 2009 उप-पंजीयक

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 693841

//02//

विक्रय पत्र सम्पादित कर देने वाले:- **(विक्रेता/प्रथम पक्ष)**

1. सुरेश पिता श्री हरिराम पंजवानी, उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, (Pan No.:ATFPP7712E)
2. श्रीमती अनिता पति श्री सुरेश पंजवानी, उम्र 52 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, (Pan No.:__________)
3. श्रीमती जूही पति श्री पंकज पंजवानी, उम्र 25 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, (Pan No.:__________)
   जाति सिंधी (गैर आदिवासी), निवासीगण 59, जयरामपुर कालोनी, इन्दौर (Pan No.:__________)
4. तुलसीदास पिता श्री ईश्वरदास विशनानी, उम्र 48 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, (Pan No.:__________)
5. श्रीमती भावना पति श्री तुलसीदास विशनानी, उम्र 45 वर्ष, व्यवसाय गृहणी,(Pan No.:AGNPV0523G)
   जाति सिंधी (गैर आदिवासी), निवासीगण 51, दयानंद चौक, देवास (म.प्र.
6. श्रीमती कोमल पति श्री लेखराजजी पोहानी, उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, (Pan No.:AUXPP5932H)
   जाति सिंधी (गैर आदिवासी), निवासी 27, शालिनी रोड़, देवास (म.प्र.)

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से ''विक्रेता/प्रथम पक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वयं एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

विक्रय पत्र जिसके पक्ष में सम्पादित किया जा रहा है:- **(क्रेता/द्वितीय पक्ष)**

1. श्रीमती विमल पति श्री एकनाथ नारखेड़े, उम्र 56 वर्ष, व्यवसाय कृषि, (Pan No.:ASKPP5601Q)
2. एकनाथ पिता श्री नामदेव नारखेड़े, उम्र 68 वर्ष, व्यवसाय कृषि, (Pan No.:AGIPN9986E)

निवासीगण मु.पो. शेलापुर खुर्द तह. मलकापुर जिला बुलढाणा (महाराष्ट्र)

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से ''क्रेता/द्वितीय पक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत क्रेता/द्वितीय पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

निरंतर.... 3 पर

२८३१८
15 MAR 2009

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास (म.प्र.)
9827045338, 9993798777

1. सुरेश पि० हरिराम पंजवानी
2. अनिल पि० सुरेश पंजवानी
3. जूही पत्नि० पंकज पंजवानी
4. तुलसीदास पि० ईश्वरदास विशनानी
5. भावना पत्नि० तुलसीदास विशनानी
6. कोमल पत्नि० लेखराज पोहानी

दयानंद चौक देवास

24,00000/- चौबीस लाख रूपए मात्र

1. जलज पि० जगदीश चन्द्र पंड्या
7, 98 मिश्रीलाल नगर
देवास

2. महेश पि० रामेश्वर सिंह चौहान
6 तिलक नगर
देवास

...विक्रेता के विषय में की गई है।
तारीख 05 MAR 2009

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 693842

विक्रय की जाने वाली भूमि का विवरणः-

यह कि विक्रेता के एकमात्र स्वत्व व मालकी की **ग्राम जेतपुरा** तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.नं. 17 पर स्थित कृषि भूमि जो कि भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 24436 तथा खसरे तथा पटवारी नक्शे में संपूर्ण विवरण दर्ज है, जिसे संलग्न अभिन्यास में लाल स्याही में दर्शाया गया है, को विक्रय करने हेतु विक्रेता को समस्त विक्रय हित प्राप्त होकर विक्रेता इस विक्रय पत्र के संपादन हेतू सक्षम है, विक्रय की जाने वाली कृषि भूमि का विवरणः-

क्रमांक	सर्वे नं.	रकबा (हैक्टर में)	लगान
1.	502/2	1.742 (4.30 एकड़)	रेटवार अनुसार

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि शासकीय पट्टे की नहीं होकर भू-दान यज्ञ के तहत नहीं दी गई है, बिक्रीत भूमिपर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165(6)(क) का उलंघन होता नहीं है और ना ही मध्यप्रदेश कृषि जोत अधिनियम 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। उक्त भूमि मुख्य मार्ग - भोपाल रोड़ / बायपास पर स्थित **नहीं** होकर, अंदर की ओर स्थित है, उक्त भूमि असिंचित है।

विक्रय प्रतिफलः-

यह कि उक्त वर्णित भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को रुपये 24,00,000/- (रु.चौबीस लाख)मात्र में विक्रय की है तथा उक्त राशि विक्रेता ने क्रेता से परभारे प्राप्त हो चुके है, अब इस विक्रय सौदे पेटे कोई राशि विक्रेता को क्रेता पक्ष से या उसके किसी भी वारसान से किसी प्रकार का कोई बकाया लेना नहीं है।

निरंतर... 4 पर

यह स्टाम्प पत्र ... पर अंकित
विवरण ...

2 5 MAR 2009

अरविंद कुमार

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास (म.प्र.)
Mob.93270-45338, 9993798777

प्रमाणित किया जाता है / पक्षकार / अभिकर्ता
......अरविंद ...... अंगुठे
का निशान ...
की दिया गया।

2 5 MAR 2009

उपपंजीयक,
देवास (म.प्र.)

Anita

प्रमाणित किया जाता है / पक्षकार / अभिकर्ता
......अनिता ...... अंगुठे
का निशान ...
की दिया गया।

2 5 MAR 2009

Anita

उपपंजीयक,
देवास (म.प्र.)

Juhi

प्रमाणित किया जाता है / पक्षकार / अभिकर्ता
...... जुही ...... अंगुठे
का निशान ...
की दिया गया।

2 5 MAR 2009

Juhi

उपपंजीयक,
देवास (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //04// 03AA 964273

बिक्रीशुदा भूमि की पूर्व की पृष्ठभूमिः-

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को **विक्रेतागण - सुरेश पिता हरीराम पंजवानी, श्रीमती अनिता पति सुरेश पंजवानी, श्रीमती जुही पति पंकज पंजवानी, तुलसीदास पिता ईश्वरदास विशनानी, श्रीमती भावना पति तुलसीदास विशनानी एवं श्रीमती कोमल पति लेखराज पोहानी** के द्वारा **मेसर्स भोमियाजी डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार - गौरव पिता श्री कैलाश कुमारजी जैन निवासी देवास से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रमांक 1-अ/6690 दिनांक 31.03.2008** को क्रय की गई थी, जिस पर विक्रेतागण का एकमात्र मालकाना, हक, स्वत्व एवं स्वामित्व होने से यह विक्रय लेख बतौर मालिक की हैसियत से निष्पादित किया जा रहा है।

यह कि भूमि विक्रेतागणों के स्वामित्व एवं आधिपत्यकी होकर उल्लेखित विक्रेतागणों के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है तथा सदर कृषि भूमि **ग्राम जेतपुरा** तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.नं. **17** में स्थित सर्वे नं. **502/2 रक़बा 1.742 हैक्टर भूमि** को विक्रेतागण अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय करना चाहते है तथा "क्रेता" भी उक्त भूमि को अपने उपयोग के लिये क्रय करना चाहते है, अतः "विक्रेता पक्ष" द्वारा "क्रेता पक्ष" को स्वत्व, हक व आधिपत्य प्रदान करते हुवे यह विक्रय लेख निम्नानुसार "क्रेता" के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

यह कि विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होने से वैधानिक मालिक एवं स्वामी होने के कारण इस सम्पत्ति को कही भी विक्रय करना या दान, बक्षीस एवं गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार होने से आज दिनांक को अपनी वर्णित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया है।

यह कि बिक्री की गई इस भूमि को इस लेख में आगे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से **"सदर भूमि"** शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसका आशय वर्णित एवं विक्रय की जा रही भूमि से रहेगा।

निरंतर.....5 पर

25 MAR 2009

ज्ञानेन्द्र ... दुबे
Mob.98270-..., 99937...

तुलसीदास

25 MAR 2009

Bhuwaneshwar T. Vishnani

भावना

25 MAR 2009

T. Vishnani

कोमल

कोमल

25 MAR 2009

कोमल

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //05// 03AA 964274

ह कि यदि विक्रेता पक्ष के अधिकार दोष के कारण यदि बिक्रीत सम्पत्ति का कब्जा भविष्य में क्रेता पक्ष के प... से चला जाता है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह मय हर्जे-खर्चे के अपनी राशि विधिवत विक्रेता प... से वसूल करें।

यह कि उ... विक्रय पत्र में अंर्तविशिष्ट भूमि समस्त अधिकार सहित विक्रेता द्वारा इसकी चारो दिशाएँ समझाकर इस... आधिपत्य क्रेता मालिक के रुप में क्रेता पक्ष को सौप दिया है, जिसे क्रेता पक्ष द्वारा बतौर मालिक के रुप में प्रा... लिये गये है, अब आप सदर सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग पीढी-दर-पीढी करते जाने हेतु स्वतंत्र है, भविष्य में यदि कोई सीमा संबंधी विवाद उठता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की संपूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि के इस विक्रय का सम्पादन विक्रेता के परिवार की पूर्ण सहमति से किया गया है, भविष्य में विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के किसी भी परिवार के सदस्य या वारिसान को एवं उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी, विक्रेता पक्ष के द्वारा किया गया यह सम्पादन विक्रेता पक्ष के समस्त वारिसो एवं उत्तराधिकारियों पर भी बंधनकारक रहेगा, भविष्य में यदि कोई अपना अधिकार संबंधी विवाद उठाता है या झगड़ा करता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की पूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही होगी।

यह कि सदर भूमि पर किसी दुसरे का भार-बोझ, बंधन या स्वत्व नहीं है व किसी बैंक, सोसायटी, तहसील एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय किसी भी विभाग का कोई कर या कर्ज लगान आदि बकाया नहीं है एवं किसी भी प्रकार का अमानत व मेन्टेनेंस का कोई भार-बोझ नहीं है, ना ही किसी बैंक, सोसायटी या न्यायालय की जमानत दर्ज नहीं है और ना ही पारिवारिक, न्यायिक विवाद आदि का प्रकरण लंबित है, ना ही डिक्री, चार्ज है, यदि भविष्य में किसी ने पिछला किसी भी प्रकार का बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का भार-बोझ निकाला या स्वत्व कायम किया तो उसको निपटाने की जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही रहेगी, क्रेता को खर्चे में नहीं पडने दिया जावेगा।

निरंतर..... 6 पर

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास (म.प्र.)
Mob.98270-45338, 9993798777

उपरोक्त निष्पादक [illegible] / अभिकर्ता
के संपुष्टि
का विधान [illegible] 25 MAR 2009
की किया गया।

[illegible] (म.प्र.)

उपरोक्त निष्पादक / [illegible] / अभिकर्ता
के संपुष्टि
का विधान [illegible]
25 MAR 2009
की किया गया।

[illegible] (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //06// 03AA 964275

यह कि सदर भूमि के पेटे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कर या बिल आदि जैसे - नगर निगम कर, पंचायत कर, भू-भाटक, तहसील कर, लगान, बिजली कर, बिजली बिल या सम्पत्तिकर एवं जलकर बकाया नहीं है, भविष्य में भी बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का यदि किसी प्रकार का कोई कर बकाया पाया गया तो विक्रेता पक्ष को भरकर देना होगा, बिक्रीखत पंजीयन के बाद के करों एवं बिलों की पूर्ण जवाबदारी क्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि को विक्रेता पक्ष के द्वारा पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय आदि करने का इकरार या किराये पर देने हेतु किराया चिट्ठी लेख नहीं लिखा गया है और ना ही इसे किराये पर दिया गया है, विक्रेता पक्ष द्वारा किसी प्रकार की लिखापढी या मौखिक वायदा पाया गया तो वह इस विक्रय पत्र निष्पादन के सामने निरस्त एवं शून्य माना जावेगा तथा उससे उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की संपूर्ण जवाबदारी मय हर्जे-खर्चे के विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि किसी भी प्रकार की शासकीय आदि की योजना में समाविष्ठ नहीं है तथा ना ही सदर भूमि किसी भी प्रकार के अग्रिहण के लिये प्रस्तावित है और ना ही इनके बाबद विक्रेता पक्ष को आज दिनांक तक कोई भी सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, यदि किसी प्रकार के तथ्य विक्रेता पक्ष के द्वारा छिपाये गये, ऐसा पाया गया तो यह विक्रेता पक्ष का दोष माना जावेगा।

यह कि अब क्रेता पक्ष को बिक्रीशुदा सम्पत्ति पर से विक्रेता का नाम राजस्व विभाग व अन्य संबंधित शासकीय विभागों से कम करवाकर अपने नाम मालिक के रुप में दर्ज करवाने के अधिकार है, आपको जब भी जहाँ जहाँ हम विक्रेतागणों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो विक्रेता समय समय पर उपस्थित होकर आपकी मदद करेंगे।

निरंतर..... 7 पर

Hemang T. Vishnani

VE319

25 MAR [illegible]

[illegible] अंतर्गत

[illegible]

[illegible] दुबे

[illegible]

[illegible] 798777

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //07// 03AA 964276

यह कि सदर भूमि की पावती की कॉपियाँ क्रेता पक्ष को सौप दी गई है तथा इस बिक्रीखत के सम्पादन के आधार पर क्रेता पक्ष अपने नाम पर नई पावती बनवा सकता है, अब स्वत्व संबंधी इस बिक्रीशुदा भूमि के दस्तावेज विक्रेता के पास शेष नहीं है।

उभयपक्षों ने इस विक्रय पत्र में लिखे समस्त कथनों को पढ़कर एवं समझकर स्वीकार करते हुवे अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुवे होश-हवास में स्वस्थ चित्त से गवाहों के समक्ष गवाह करवाते हुवे आज बिना किसी दबाव के राजी-खुशी से विक्रय कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है, जो वैधानिक रुप से जरुरत पड़ने पर काम आवे।

दिनांक : 25.03.2009

विक्रेता पक्ष

गवाह :-

01.हस्ताक्षर.................................

जलज कुमार पिता श्री जगदीशचन्द्र पंड्या

98, सेठ मिश्रीलाल नगर, देवास (म.प्र.)

02.हस्ताक्षर.................................

महेशसिंह पिता श्री रामेश्वरसिंहजी चौहान

282, तिलक नगर, देवास (म.प्र.)

क्रेता पक्ष

मेरे कार्यालय में उभयपक्षों के आदेशानुसार
एवं निर्देशानुसार टंकण कराया गया।

(मुकेश यादव), अभिभाषक, देवास

[illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] का [illegible] दिखाया

[illegible] 2004-05 ई

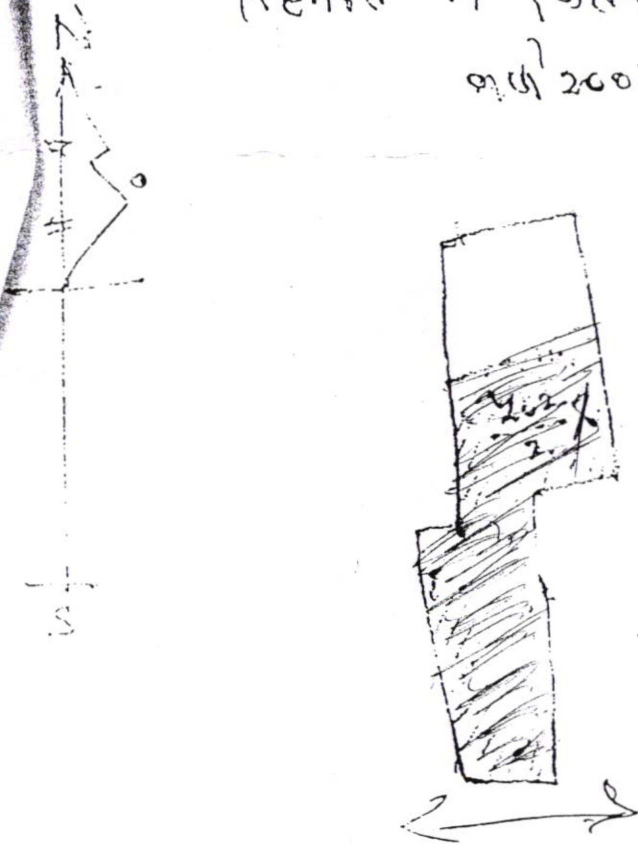

[illegible]

Anita

Juhi

Bhawna P. Vishnoi

Tulsidas

[illegible]

[illegible]

7/5/06

[illegible]

[illegible]

2 5 MAR 2009

यह स्टाम्प ... पर अंकीत ...

गोविन्द बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
9993798777

25 MAR 2009

आज दिनांक ... 131
को पुस्तक ... 8
क्रमांक 6944 ... 5935
19/26 ...
पृष्ठ पंजीबद्ध किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)

... 29090=
... 25—
...
...
... 29115=0

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)

2 5 MAR 2009

नकशा अक्स ग्राम सोनपुर प.ह.न. १५ तहसील देवास

-वर्ष. २०११.११

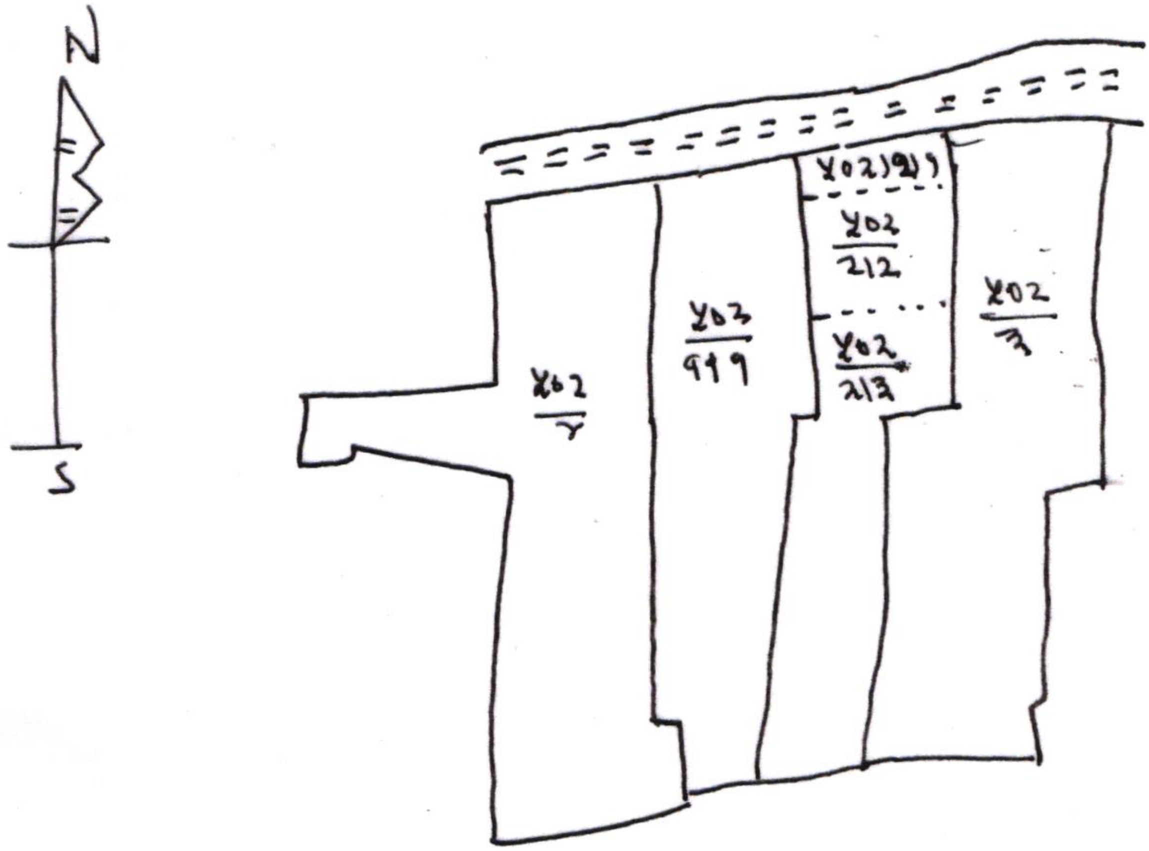

(सत्यप्रतिलिपी)

प.17
27/10/10